डॉ0 राजेन्द्र प्रसाद केन्द्रीय कृषि विश्वविद्यालय
पूसा (समस्तीपुर) – 848 125, बिहार

आ0 सं0– 02 स्था0/02/19/ 110 / रा.प्र.के.कृ.वि.   पूसा, दिनांक 18.06.2021

आदेश

विश्वविद्यालय कार्यहित में कोविड–19 कोरोना वायरस संक्रमण को देखते हुए निम्नलिखित आदेश दिया जाता है :–

1. पूर्व में निर्गत आदेश संख्या 88 दिनांक 09.06.2021, दिनाक 30 जून, 2021 तक यथावत जारी रहेगा एवं बिहार सरकार गृह विभाग (विशेष शाखा) के आदेश ज्ञापांक – जी0/आपदा– 06–02/2020–3164, पटना दिनांक 15.06.2021 के अनुसार एवं विश्वविद्यालय परिसर में अथक प्रयास के उपरान्त कोरोना मामले को नियंत्रित किया गया है। इस स्थिति को बनाये रखने के लिए तथा राज्य सरकार के आदेश के अनुपालन के तहत् विश्वविद्यालय के सम्पूर्ण परिसर में आगंतुकों का प्रवेश वर्जित रहेगा, जिससे कि विश्वविद्यालय परिसर कोरोना मुक्त बना रहे।
2. भारत सरकार कोरोना के प्रभाव से मुक्त रखने के लिए टीकाकरण अभियान चला रही है। अतः विश्वविद्यालय के सभी कर्मी से अनुरोध है कि दिनांक 30.06.2021 तक कम से कम अपना प्रथम टीका लेना सुनिश्चित ले लें। अगर कोई प्रथम टीका ले चुके है तो वे द्वितीय टीका भी लेना सुनिश्चित करें एवं सभी कर्मचारी जिन्होंने टीकाकरण करवा लिया है वह अपने नियंत्री पदाधिकारी के माध्यम से टीकाकरण का प्रमाण पत्र दिनांक 30.06.2021 तक उपकुलसचिव (स्थापना) के कार्यालय में जमा करवा दे ताकि सक्षम अधिकारियों को सूचना दी जा सके।
3. परिसर निवासी कोविड प्रोटोकॉल के अन्तर्गत निर्देशित यथा मास्क पहनना, आपसी दूरी बनाए रखना, समय–समय पर हाथ धोना आदि का नियमानुसार पालन करें।

18/6/21

उप कुलसचिव (स्था0)

प्रतिलिपिः–

सभी अधिष्ठाता एवं निदेशक/कुलसचिव/नियंत्रक/सभी नियंत्री पदाधिकारी/विभाग प्रधान/प्रभारी एरिस सेल, रा.प्र.के.कृ.वि., पूसा को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित। एरिस सेल को उक्त आदेश वेबसाइट पर अपलोड करने हेतु।

कार्बन प्रति– कुलपति के सचिव को माननीय कुलपति महोदय के सूचनार्थ प्रेषित।

D.No. 982
18/06/21